कुर्रा नाम

हरिया

नि. अंगूठा

13/6/18 पत्रावली केम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी प्रारंभिक डिक्री योग्य पाया जाता है अतः दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर अनाउन्स किया गया। कुर्रा रिपोर्ट तलब होकर पत्रावली दिनांक 30/6/18 को पेश हो।

SDO

30/6/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। कुरेजात रिपोर्ट पेश हुई। वकील को सुना गया। मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय लिखवाकर अमल किया गया। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म।

SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/209/17

बउनवान

1. मंगतू पुत्र अमरचन्द जाति चमार साकिन सौंखरी
2. हरिया पुत्र अमरचन्द जाति चमार साकिन सौंखरी तहसील कठूमर

——— वादी

बनाम

1. दुर्गा पुत्र अमरचन्द जाति चमार साकिन सौंखरी
2. रेवती पुत्र लक्ष्मण जाति चमार
3. सोहनलाल पुत्र लक्ष्मण जाति चमार
4. चम्पा पुत्र रामचन्द्र जाति चमार
5. मेदी पुत्र प्रसादी जाति चमार – फौत
6. गिर्राज पुत्र ख्याली जाति माली
7. दीपचन्द पुत्र रमला जाति माली
8. किशोर पुत्र कुन्दन जाति माली
9. भजन पुत्र कुन्दन जाति माली
10. चमाया पुत्र रामचन्द जाति माली
11. भगवत पुत्र मुकन्दी जाति माली
12. सुरेश पुत्र मुकन्दी जाति माली
13. बाबू पुत्र कन्हैया जाति माली
14. रेवती पुत्र मुकन्दी जाति माली
15. घनश्याम पुत्र मुकन्दी जाति माली – मृतक

15/1 उगन्ता पत्नि घनश्याम

15/2 बालेन्दर पुत्र घनश्याम

15/3 सतीश पुत्र घनश्याम जाति माली निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

Scanned by CamScanner

16. सूंसरिया पुत्र मवासी जाति जाट

17. सामन्ता पुत्र कुन्दन जाति चमार

18. मोती पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण

19. मंगल पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण

20. पप्पू पुत्र लटूरा

21. छोटेला पुत्र लटूरा

22. खज्जू पुत्र लटूरा जाति जाटव

23. सन्नी पुत्र भदई जाति चमार

24. चतरराम पुत्र राजपाल जाति जाटव

25. गोन्दिसिंह पुत्र राजपाल जाति जाटव

26. चिम्मन पुत्र गोपी जाति जाटव –– मृतक

27. सन्ती पुत्र भदई जाति जाटव

28. कल्लो पत्नी मोती जाटव

29. कैलाश चन्द पि0म0 भिक्की जाति ब्राह्मण

30. हरी पुत्र कुन्जीलाल जाति ब्राह्मण

31. सुनील पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण

32. अनिल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण

33. सुशील पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण

34. रामचरण पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण – फौत

35. कैप पुत्र हरीसिंह जाति ब्राह्मण

36. रामदयाल पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण

37. शिम्भू पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण

38. रामस्वरूप पुत्र दयाचन्द जाति माली

39. गप्पल पुत्र तुलसी जाति जाटव

40. लटूरा पुत्र नोंदा – मृतक

40/1 किशनी पत्नि लटूरा

40/2 पप्पू पुत्र लटूरा

40/3 फज्जू पुत्र लटूरा

Scanned by CamScanner

40/4 छोटेलाल पुत्र लटूरा जाति चमार निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

41. खिल्ली पुत्र नोंदा

42. लल्लू पुत्र कलुआ जाति चमार

43. रामकिशन पुत्र कलुआ जाति चमार

44. कर्मपाल पुत्र कलुआ जाति चमार

45. गिर्राज पुत्र हरचन्दी जाति चमार

46. बनेसिंह पुत्र मेदी जाति चमार

47. रोहिताश पुत्र मेदी जाति चमार

48. बाबूलाल पुत्र प्रभाती जाति चमार

49. रामसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाटव

50. मोतीलाल पुत्र प्रभाती जाति जाटव

51. बंशी पुत्र प्रभाती जाति जाटव

52. झम्मन पुत्र परमा जाति चमार – फौत

53. लालचन्द पुत्र मूला जाति चमार – मृतक

53/1 बंशी पुत्र लालचन्द जाति चमार निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

54. गुल्टू पुत्र नवीरा सरमन जाति जाटव

55. जगदीश पुत्र नवीरा सरमन जाति जाटव

56. लिबरा पुत्र नवीरा सरमन जाति जाटव

57. तेजी पुत्र सूरज जाति चमार

58. भोंदू पुत्र श्रीया जाति जाटव

59. रामप्रसाद पुत्र किशन जाति माली

60. रामधन पुत्र किशन जाति माली निवासीयान ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर।

61. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर।

.... तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

Scanned by CamScanner

1. श्री श्योराम नरूका अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री एम.पी. राजोरिया अभिभाषक असल रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक 30.06.2018**

संक्षिप्त तथ्य वाद वादी इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1568, 1586, 2250, 2252 वाके ग्राम सौंखरी व खसरा नम्बर 1518, 1569, 1570, 2807, 1555, 1556, 1557, 1578, 1559 ,1560,2771, 2772 ,2810, 2814 ,2820, 2821, 2823, 2817, 1728, 1729, 1730, 2850, 2894 ,2895 वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है।
उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है, कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है। वादी उक्त आराजी का कानूनन तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनन तकासमा बाबत कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। अतः कानूनी प्रावधानों के मुताबिक तहसीलदार कठूमर को दावा हाजा में पक्षकार बनाया जाकर दावा तकसीम अदालत श्रीमान में पेश किया गया है। वादी विवादित आराजी का कानूनन तकासमा कराकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी तकसीम कराकर मौके पर दखल प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में अलग खाता खुलवाने का अधिकारी है, दावा मुताबिक अनुतोष डिकी किया जावे।

पत्रावली में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर 31.03.2018 व संशोधित डिकी 29. 10.2009 से किया जाकर रिकोर्ड में अमल किया गया। डिक्री दिनांक 31.03.2008 व संशोधित डिक्री 29.10.2009 की अपील द्वारा अपीलांट मंगतू, हरिया पुत्र अमरचंद ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में अपील दिनांक 30.06.2017 को स्वीकार कर निर्णय व डिकी दिनांक 31.03.2008 व 29.10.2009 निरस्त कर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनो पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

दावा वादीगण दर्ज किया गया। तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी की पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलव की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस कुर्रेजात अधि. उभय पक्ष पर मनन किया । ग्राम सौंखरी की विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1568, 1586, 2250, 2252, 1518, 1569, 1570, 2807, 1555, 1556 ,1557, 1578, 1559, 1560, 2771, 2772, 2810, 2814, 2820,

Scanned by CamScanner

2821, 2823, 2817, 1728, 1729, 1730, 2850, 2894 व 2895 वाके ग्राम सौंखरी का सहखातेदारों में तकासमा जरिये डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर 31.03.2018 व संशोधित डिक्री 29.10.2009 से किया जाकर रिकोर्ड में अमल किया गया। डिक्री दिनांक 31. 03.2008 व संशोधित डिक्री 29.10.2009 की अपील द्वारा अपीलांट मंगतू, हरिया पुत्र अमरचंद को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में करने पर अपील दिनांक 30.06. 2017 को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2008 व 29.10.2009 निरस्त कर दिया। तहसीलदार कठूमर ने वादी एवं असल प्रतिवादी के मध्य पूर्व में विभाजित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में रिकार्ड एवं मौके अनुसार पुनः कुर्रेजात पेश की है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व डिक्री द्वारा तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में रिकार्ड एवं मौके पर पक्षकारान में कोई विवाद नहीं होने से उनके नाम पूर्व में ही रिकार्ड में पृथक रूप से दर्ज खसरा नम्बरान में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व अंकन यथावत रखा जाता है। वादी दुर्गा पुत्र अमरचंद एवं असल प्रतिवादी मंगतू , हरिया पुत्र अमरचंद के नाम मुताबिक कुर्रेजात विभाजन तस्दीक किया जाता है। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.26 हे0, खसरा नम्बर 2821/4127 रकबा 0.39 हे0, खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.43 हे0, खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.47 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.55 हे. दुर्गा पुत्र अमरचन्द जाटव राहिन एसबीआई खेरली को, खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.88 हे0, खसरा नम्बर 1556/4128 रकबा 0.13 हे0, खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.31 हे., खसरा नम्बर 1568/4124 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 1728/4126 रकबा 0.08 हे0, खसरा नम्बर 2250 रकबा 0.42 हे0, खसरा नम्बर 2252 रकबा 0.65 हे0, खसरा नम्बर 2807 रकबा 0.63 हे0 कुल किता 9 रकबा

Scanned by CamScanner

3.61 हे. मंगतू,हरियापुत्र ,अमरचन्द कौम जाटव राहिन एसबीआई खेरली को तकसीम में दिया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। वाद पत्र में अन्य विवादित आराजीयात जो पूर्व डिक्री द्वारा रिकार्ड में अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम पृथक पृथक खातों में दर्ज रिकार्ड होने से उनको पूर्वानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अंकन यथावत रखा जाता है। वादी मंगतू पुत्र अमरचंद एवं प्रतिवादी दुर्गा पुत्र अमरचंद का पूर्व विभाजन विलोपित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 30.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

15/3 सतीश पुत्र घनश्याम जाति माली निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

16. सूंसरिया पुत्र मवासी जाति जाट

17. सामन्ता पुत्र कुन्दन जाति चमार

18. मोती पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण

19. मंगल पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण

20. पप्पू पुत्र लटूरा

21. छोटेला पुत्र लटूरा

22. खज्जू पुत्र लटूरा जाति जाटव

23. सन्नी पुत्र भदई जाति चमार

24. चतरराम पुत्र राजपाल जाति जाटव

25. गोन्दिसिंह पुत्र राजपाल जाति जाटव

26. चिम्मन पुत्र गोपी जाति जाटव —— मृतक

27. सन्ती पुत्र भदई जाति जाटव

28. कल्लो पत्नी मोती जाटव

29. कैलाश चन्द पि0म0 भिक्की जाति ब्राह्मण

30. हरी पुत्र कुन्जीलाल जाति ब्राह्मण

31. सुनील पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण

32. अनिल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण

33. सुशील पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण

34. रामचरण पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण — फौत

35. कैप पुत्र हरीसिंह जाति ब्राह्मण

36. रामदयाल पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण

37. शिम्भू पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण

38. रामस्वरूप पुत्र दयाचन्द जाति माली

39. गप्पल पुत्र तुलसी जाति जाटव

40. लटूरा पुत्र नोंदा — मृतक

40/1 किशनी पत्नि लटूरा

Scanned by CamScanner

40/2 पप्पू पुत्र लटूरा

40/3 फज्जू पुत्र लटूरा

40/4 छोटेलाल पुत्र लटूरा जाति चमार निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

41. खिल्ली पुत्र नोंदा

42. लल्लू पुत्र कलुआ जाति चमार

43. रामकिशन पुत्र कलुआ जाति चमार

44. कर्मपाल पुत्र कलुआ जाति चमार

45. गिर्राज पुत्र हरचन्दी जाति चमार

46. बनेसिंह पुत्र मेदी जाति चमार

47. रोहिताश पुत्र मेदी जाति चमार

48. बाबूलाल पुत्र प्रभाती जाति चमार

49. रामसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाटव

50. मोतीलाल पुत्र प्रभाती जाति जाटव

51. बंशी पुत्र प्रभाती जाति जाटव

52. झम्मन पुत्र परमा जाति चमार – फौत

53. लालचन्द पुत्र मूला जाति चमार – मृतक

53/1 बंशी पुत्र लालचन्द जाति चमार निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

54. गुल्टू पुत्र नवीरा सरमन जाति जाटव

55. जगदीश पुत्र नवीरा सरमन जाति जाटव

56. लिबरा पुत्र नवीरा सरमन जाति जाटव

57. तेजी पुत्र सूरज जाति चमार

58. भोंदू पुत्र श्रीया जाति जाटव

59. रामप्रसाद पुत्र किशन जाति माली

60. रामधन पुत्र किशन जाति माली निवासीयान ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर अलवर।

61. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर।

.... तरतीबी रेस्पोडेन्ट

Scanned by CamScanner

दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.26 हे0, खसरा नम्बर 2821/4127 रकबा 0.39 हे0, खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.43 हे0, खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.47 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.55 हे. दुर्गा पुत्र अमरचन्द जाटव राहिन एसबीआई खेरली को, खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.88 हे0, खसरा नम्बर 1556/4128 रकबा 0.13 हे0, खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.31 हे., खसरा नम्बर 1568/4124 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 1728/4126 रकबा 0.08 हे0, खसरा नम्बर 2250 रकबा 0.42 हे0, खसरा नम्बर 2252 रकबा 0.65 हे0, खसरा नम्बर 2807 रकबा 0.63 हे0 कुल किता 9 रकबा 3.61 हे. मंगतू,हरियापुत्र ,अमरचन्द कौम जाटव राहिन एसबीआई खेरली को तकसीम में दिया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। वाद पत्र में अन्य विवादित आराजीयात जो पूर्व डिक्री द्वारा रिकार्ड में अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम पृथक पृथक खातों में दर्ज रिकार्ड होने से उनको पूर्वानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अंकन यथावत रखा जाता है। वादी मंगतू पुत्र अमरचंद एवं प्रतिवादी दुर्गा पुत्र अमरचंद का पूर्व विभाजन विलोपित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 30.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner